रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30082024-256789
CG-DL-E-30082024-256789

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 677]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 2024/भाद्र 7, 1946	
No. 677]	NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 2024/BHADRA 7, 1946	

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2024

फा. सं. BS XI/11/01/2024.—ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 12 और धारा 13 के साथ पठित धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात् : -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) संशोधन विनियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018, में,

(क) स्कीम-3 में, उपाबंध- I के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात्:

उपाबंध - I

(स्कीम - 3 के पैरा 5 के उप-पैरा (1) और उप-पैरा (2) देखें)

फीस संरचना

1. आवेदन फीस*

(क) वृहत् औद्योगिक उद्यम	रु. 1,000.00
(ख) सूक्ष्म, लघु **एवं** मध्यम औद्योगिक उद्यम	रु. 500.00
(ग) केंद्रीय/राज्य सरकार संगठन	रु. 500.00

टिप्पण : न लाभ न हानि के आधार पर कार्यरत सभी केंद्रीय/राज्य/स्थानीय सरकारी और **पूर्त** संगठनों, सभी पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पोलीटेकनीक, प्रशिक्षण संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों और स्वास्थ्य देखरेख स्थापनों को, उनके आकार पर ध्यान किये बिना लघु उद्यम माना जाएगा।

2. संपरीक्षा फीस*

(क) भारत के भीतर स्थित इकाइयों के लिए:

i)	वृहत् औद्योगिक उद्यम	रु. 12,000.00 प्रति श्रमिक दिन
ii)	लघु एवं मध्यम औद्योगिक उद्यम	रु. 9,000.00 प्रति श्रमिक दिन
iii)	केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठन	रु. 9,000.00 प्रति श्रमिक दिन
iv)	सूक्ष्म उद्यम	रु. 3,000.00 प्रति श्रमिक दिन

टिप्पण 1 : वास्तविक आधार पर इकाई की स्थिति से 250 किलोमीटर दूरी तक सीमित यात्रा एवं संपरीक्षक के ठहरने की व्यवस्था आवेदक या अनुज्ञप्ति धारक या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक द्वारा वहन किये जायेंगे।

टिप्पण 2 : न लाभ न हानि के आधार पर कार्यरत सभी केंद्रीय/राज्य/स्थानीय सरकारी और पूर्त संगठनों, सभी पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पोलीटेकनीक, प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान संस्थान और स्वास्थ्य देखरेख स्थापनों को उनके आकार पर ध्यान किये बिना लघु उद्यम माना जाएगा।

(ख) भारत के बाहर स्थित इकाइयों के लिए:

(i) 12,000.00 रुपये प्रति श्रमिक दिन प्रभार्य होगी।

(ii) अनुज्ञप्ति धारक या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्ण विवेकाधिकार द्वारा यथा विनिश्चित संपरीक्षा (तैनाती स्थल से प्रस्थान समय तक और वापसी तक) के संबंध में प्रमाणन अधिकारियों द्वारा खर्च भारतीय मानक ब्यूरो के श्रमिक दिन की लागत सहित सभी व्यय वहन करेगा।

3. तीन वर्षों हेतु अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाणपत्र फीस*/पुनः प्रमाणन फीस*

(क) वृहत् उद्यम	-	रु. 2,000.00
(ख) लघु एवं मध्यम उद्यम	-	रु. 1,000.00
(ग) सूक्ष्म उद्यम	-	रु. 200.00

4. बहुल सेवा आउटलेट वाले संगठनों के लिए अनुज्ञप्ति फीस

कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त स्थल (सदृश गतिविधियों वाले के लिए) के लिए प्रत्येक स्थल के लिए संदत्त की जाने वाली अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस प्रत्येक स्थल से संबंधित प्रवर्ग की अनुज्ञप्ति फीस या अनुरुपता प्रमाणपत्र फीस/परिशोधन फीस का 50 प्रतिशत होगी।

5. फीस में शिथिलता –

क) आवेदन फीस में शिथिलीकरण -

पश्चातवर्ती आवेदनपत्र हेतु (अर्थात् किसी भी अनुज्ञप्ति धारक/आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दूसरे आवेदनपत्र), पर कोई आवेदन फीस प्रभार्य नही होगी।

ख) संपरीक्षा फीस में शिथिलीकरण

i) यदि संपरीक्षा के दौरान खर्च किया गया वास्तविक यात्रा खर्च कम होता है तो क्षेत्रीय उपमहानिदेशक वृहत् औद्योगिक उद्यम हेतु यात्रा में खर्च किये गये रु. 4000.00 प्रति श्रमदिन तक और लघु एवं मध्यम औद्योगिक उद्यम हेतु यात्रा में खर्च रु. 3000.00 प्रति श्रमदिन तक शिथिलता प्रदान कर सकते हैं।

ii) सूक्ष्म उद्यम के मामले में संपरीक्षा फीस में कोई शिथिलता नहीं होगी।

ग) <u>अनुज्ञप्ति फीस में शिथिलता</u>

न लाभ न हानि के आधार पर कार्यरत सभी केंद्रीय/राज्य/ स्थानीय सरकारी और पूर्त संगठनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पोलीटेकनीक, प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान संस्थान और स्वास्थ्य देखरेख स्थापनों से उनके आकार पर ध्यान किये बिना कोई अनुज्ञप्ति फीस नहीं ली जाएगी।

***अतिरिक्त कर**

-उद्यमों का वर्गीकरण "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27)" पर आधारित होगा" ;

(ख) स्कीम -8 के उपाबंध - I के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात्:

उपाबंध - I

(स्कीम -8 के पैराग्राफ 5 के उप-पैराग्राफ (1) और (2) देखें)

फीस संरचना

1. आवेदन फीस*

(क) वृहत् औद्योगिक उद्यम	रु. 1,000.00
(ख) सूक्ष्म, लघु **एवं** मध्यम औद्योगिक उद्यम	रु. 500.00
(ग) केंद्रीय/राज्य सरकार संगठन	रु. 500.00

टिप्पण : न लाभ न हानि के आधार पर कार्यरत सभी केंद्रीय/राज्य/स्थानीय सरकारी और **पूर्त** संगठनों, सभी पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पोलीटेकनीक, प्रशिक्षण संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों और स्वास्थ्य देखरेख स्थापनों को, उनके आकार पर ध्यान किये बिना लघु उद्यम माना जाएगा।

2. संपरीक्षा फीस : *

(क) भारत के भीतर स्थित इकाइयों के लिए:

i)	वृहत् औद्योगिक उद्यम	रु. 12,000.00 प्रति श्रमिक दिन
ii)	लघु **एवं** मध्यम औद्योगिक उद्यम	रु. 9,000.00 प्रति श्रमिक दिन
iii)	केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठन	रु. 9,000.00 प्रति श्रमिक दिन
iv)	सूक्ष्म उद्यम	रु. 3,000.00 प्रति श्रमिक दिन

टिप्पण 1 : वास्तविक आधार पर इकाई की स्थिति से 250 किलोमीटर दूरी तक सीमित यात्रा और संपरीक्षक के ठहरने की व्यवस्था आवेदक या अनुज्ञप्ति धारक या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक द्वारा वहन किये जायेंगे।

टिप्पण 2 : न लाभ न हानि के आधार पर कार्यरत सभी केंद्रीय/राज्य/स्थानीय सरकारी और पूर्त संगठनों, सभी पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पोलीटेकनीक, प्रशिक्षण संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों और स्वास्थ्य देखरेख स्थापनों को, उनके आकार पर ध्यान किये बिना लघु उद्यम माना जाएगा।

(ख) भारत के बाहर स्थित इकाइयों के लिए:

(i) 12,000.00 रुपये प्रति श्रमिक दिन प्रभार्य होगी।

(ii) अनुज्ञप्ति धारक या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्ण विवेकाधिकार द्वारा यथा विनिश्चित संपरीक्षा (तैनाती स्थल से प्रस्थान समय तक और वापसी तक) के संबंध में प्रमाणन अधिकारियों द्वारा खर्च भारतीय मानक ब्यूरो के श्रमिक दिन की लागत सहित सभी व्यय वहन करेगा।

3. तीन वर्षों हेतु अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाणपत्र फीस*/पुनःप्रमाणन फीस*

(क)	**वृहत्** उद्यम	-	रु. 2,000.00
(ख)	मध्यम **एवं** लघु उद्यम	-	रु. 1,000.00
(ग)	सूक्ष्म उद्यम	-	रु. 200.00

4. बहुल सेवा आउटलेट वाले संगठनों के लिए अनुज्ञप्ति फीस*

कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त स्थल (सदृश गतिविधियों के लिए) प्रत्येक स्थल के लिए संदत्त की जाने वाली अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस, प्रत्येक स्थल से संबंधित प्रवर्ग की अनुज्ञप्ति फीस या अनुरुपता प्रमाण फीस/परिशोधन फीस का 50 प्रतिशत होगी।

5. फीस में शिथिलता –

(क) आवेदन फीस में शिथिलीकरण -

पश्चातवर्ती आवेदनपत्र हेतु (अर्थात् किसी भी अनुज्ञप्ति धारक/आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दूसरे आवेदनपत्र), पर कोई आवेदन फीस प्रभार्य नहीं होगी।

(ख) संपरीक्षा फीस में शिथिलता

(i) यदि संपरीक्षा के दौरान खर्च किया गया वास्तविक यात्रा खर्च कम होता है तो क्षेत्रीय उपमहानिदेशक वृहत् औद्योगिक उद्यम हेतु यात्रा में खर्च किये गये रु. 4000.00 प्रति श्रमदिन तक और लघु **एवं** मध्यम औद्योगिक उद्यम हेतु यात्रा में खर्च रु. 3000.00 प्रति श्रमदिन तक शिथिलता प्रदान कर सकते हैं।

(ii) सूक्ष्म उद्यम के मामले में संपरीक्षा फीस में कोई शिथिलता नहीं होगी।

(ग) अनुज्ञप्ति फीस में शिथिलता

न लाभ न हानि के आधार पर कार्यरत सभी केंद्रीय/राज्य/ स्थानीय सरकारी और **पूर्त** संगठनों**,** पुस्तकालयों**,** प्रयोगशालाओं**,** विद्यालयों**,** महाविद्यालयों**,** पोलीटेकनीक**,** प्रशिक्षण संस्थानों**,** अनुसंधान संस्थानों और देखरेख स्थापनों से उनके आकार पर ध्यान किये बिना कोई अनुज्ञप्ति फीस नहीं ली जाएगी।

***- अतिरिक्त कर**

उद्यमों का वर्गीकरण "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27)" पर आधारित होगा।"

अलका, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./446/2024-25]

टिप्पण: प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में फा.सं. बीएस/11/11/2018 तारीख 4 जून, 2018 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। बीएस/11/11/2018 तारीख 4 जून, 2018 और फा.सं. बीएस/11/11/2018 तारीख 12 अक्टूबर, 2018, फा.सं. बीएस/11/11/2020 तारीख 21 फरवरी, 2020, फा.सं. बीएस/11/11/2021 तारीख 4 फरवरी, 2021, फा.सं. बीएस/11/11/2021 तारीख 5 फरवरी, 2021, फा.सं. बीएस/11/11/2021 तारीख 4 जून, 2021, फा.सं. बीएस/11/11/2021 तारीख 5 अगस्त, 2021, फा.सं. बीएस/11/11/2021 तारीख 27 अक्टूबर, 2021, फा.सं. बीएस/11/11/2021 तारीख 8 दिसंबर, 2021 फा.सं. बीएस/11/11/2021 तारीख 16 मार्च, 2022 और फा.सं. बीएस/11/11/2023 तारीख 21 जून, 2023 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधित किये गये।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(**Department Of Consumer Affairs**)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2024

F. No. BS XI/11/01/2024.—In exercise of the powers conferred by section 39 read with sections 12 and 13 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau, with prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Amendment Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, -

(A) in Scheme-III, for Annexure-I, the following Annexure shall be substituted, namely:-

"Annexure - I

(Refer sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 5 of Scheme-III)

Fee Structure

3. Application fee*

(a) Large industrial enterprises	Rs 1,000.00
(b) Micro, small and medium industrial enterprises	Rs 500.00
(c) Central/State Government Organisations	Rs 500.00

Note: All libraries, laboratories, schools, colleges, polytechnics, training institutes, research institutes and health care establishments, Central/State/Local Government and charitable organisations working on no profit- no loss basis irrespective of their size shall be considered as small enterprises.

4. Audit fee*

(a) For units located within India**:**

i)	Large industrial enterprises	Rs 12,000.00 per manday
ii)	Small and medium industrial enterprises	Rs 9,000.00 per manday
iii)	Central/State Government Organisations	Rs 9,000.00 per manday
iv)	Micro enterprises	Rs 3,000.00 per manday

Note 1: Travel limited to a distance of 250 kilometers from the location of the unit and stay of auditors on actual basis shall be borne by the applicant or licence holder or certificate of conformity holder.

Note 2: All libraries, laboratories, schools, colleges, polytechnics, training institutes, research institutes and health care establishments, Central/State/Local Government and charitable organisations working on no profit- no loss basis irrespective of their size shall be considered as small enterprises.

(b) For units located outside India:

(i) Rs. 12,000.00 per manday shall be chargeable.

(ii) The holder of licence or certificate of conformity shall bear all expenses, including cost to the Bureau of Indian Standards of the man-days spent by the Bureau of Indian Standards certification officer(s) in connection with the audit (from the time of departure from the place of posting till return thereto), as decided by the Bureau of Indian Standards in its absolute discretion.

3. Licence or certificate of conformity fee*/re-certification fee for three years*

(a) Large enterprises	Rs 2,000.00
(b) Small and medium enterprises	Rs 1,000.00
(c) Micro enterprises	Rs 200.00

4. Licence fee for organisations with multiple service outlets*

For each additional site (with similar activities) to be covered under the scope, additional licence fee to be paid for each site shall be 50 per cent of the licence fee or certificate of conformity fee/ re-certification fee of the respective category per site.

5. Flexibility in fee –

(a) Relaxation in application fee-

For subsequent application (i.e. second application submitted by any licensee/applicant), no application fee shall be chargeable.

(b) Relaxation in audit fee-

(i) If the actual travel cost incurred during an audit is less, the Deputy Director General of the Region may grant relaxation upto Rs 4,000.00 per manday spent in travelling for large industrial enterprises and Rs 3,000.00 per manday spent in travelling for small and medium industrial enterprises.

(ii) There shall be no relaxation in audit fee in case of micro enterprise.

(c) Relaxation in Licence Fee-

No licence fee shall be charged for libraries, laboratories, schools, colleges, polytechnics, training institutes, research institutes and health care establishments, Central/State/Local Government and charitable organisations working on no profit- no loss basis irrespective of their size.

---

* -Taxes extra

-The enterprises shall be classified based on the provisions of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006(27 of 2006)" ;

(B) in Scheme -VIII**,** for Annexure-I, the following Annexure shall be substituted, namely:

"Annexure – I

(Refer sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 5 of Scheme-VIII)

Fee Structure

1. Application fee*

(a) Large industrial enterprises	Rs 1,000.00
(b) Micro, small and medium industrial enterprises	Rs 500.00
(c) Central/State Government Organisations	Rs 500.00

Note: All libraries, laboratories, schools, colleges, polytechnics, training institutes, research institutes and health care establishments, Central/State/Local Government and charitable organisations working on no profit- no loss basis irrespective of their size shall be considered as small enterprises.

2. Audit fee*

(a) For units located within India**:**

(i) Large industrial enterprises	Rs 12,000.00 per manday
(ii) Small and Medium industrial enterprises	Rs 9,000.00 per manday
(iii) Central/State Government Organisations	Rs 9,000.00 per manday
(iv) Micro enterprises	Rs 3,000.00 per manday

Note 1: Travel limited to a distance of 250 kilometers from the location of the unit and stay of auditors on actual basis shall be borne by the applicant or licence holder or certificate of conformity holder.

Note 2: All libraries, laboratories, schools, colleges, polytechnics, training institutes, research institutes and health care establishments, Central/State/Local Government and charitable organisations working on no profit- no loss basis irrespective of their size shall be considered as small enterprises.

(b) For units located outside India:

(i) Rs. 12,000.00 per manday shall be chargeable.

(ii) The holder of licence or certificate of conformity shall bear all expenses, including cost to the Bureau of Indian Standards of the man-days spent by the Bureau of Indian Standards certification officer in connection with the audit (from the time of departure from the place of posting till return thereto), as decided by the Bureau of Indian Standards in its absolute discretion.

3. Licence or certificate of conformity fee*/re-certification fee for three years*

(a) Large enterprises	Rs. 2,000.00
(b) Small and medium enterprises	Rs. 1,000.00
(c) Micro enterprises	Rs. 200.00

4. Licence fee for organisations with multiple service outlets

For each additional site (with similar activities) to be covered under the scope, additional licence fee to be paid for each site shall be 50 per cent of the licence fee or certificate of conformity fee/ re-certification fee of the respective category per site.

5. Flexibility in fee

(a) Relaxation in application fee-

For subsequent application (i.e. second application submitted by any licensee/applicant), no application fee shall be chargeable.

(b) Relaxation in audit fee-

(i) If the actual travel cost incurred during an audit is less, the Deputy Director General of the Region may grant relaxation upto Rs 4,000.00 per manday spent in travelling for large industrial enterprises and Rs 3,000.00 per manday spent in travelling for small and medium industrial enterprises.

(ii) There shall be no relaxation in audit fee in case of micro enterprise.

(c) Relaxation in Licence Fee-

No licence fee shall be charged for libraries, laboratories, schools, colleges, polytechnics, training institutes, research institutes and health care establishments, Central/State/Local Government and charitable organisations working on no profit- no loss basis irrespective of their size.

---

* -Taxes extra

-The enterprises shall be classified based on the provisions of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006)."

ALKA, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./446/2024-25]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4 vide F.No. BS/11/11/2018 dated the 4th June, 2018 and subsequently amended vide F.No. BS/11/11/2018 dated the 12th October, 2018, F.No. BS/11/11/2020 dated the 21st February, 2020, F.No. BS/11/11/2021 dated the 4th February, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated the 5th February, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated 4th June, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated the 5th August, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated the 27th October, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated the 8th December, 2021, F.No. BS/11/11/2021 dated the 16th March, 2022 and F. No. BS/11/11/2023 dated the 21st June, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA